कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरोहा

पत्र सं0: एफएस–सीएफओ–2019(पैट्रोल पम्प)/886 दिनांक–अक्टूबर 22, 2019

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
जनपद अमरोहा।

विषयः–खसरा/गाटा सं0: 2958/1, 2 (पार्ट ऑफ), ग्राम अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा पर भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निसुरक्षा सम्बंधी स्थलीय निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्रांकः 1812/आबकारी सहायक/2019 दिनांक अक्टूबर 11, 2019 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र के अनुसार खसरा/गाटा सं0: 2958/1, 2 (पार्ट ऑफ), ग्राम अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा पर भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के कम में प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमनशमन अधिकारी अमरोहा/गजरौला द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया, विवरण निम्नवत हैः–

प्रस्तावित स्थल खसरा/गाटा सं0: 2958/1, 2, जोया–नौगावॉ–बिजनौर मार्ग पर स्थित है। स्तावित स्थल पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ–जा सकते हैं। प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई लाईन नहीं गुजर रही है।

प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोलिम रुल्स–2002 के अनुसार निम्नाकिंत अग्निशमन व्यवस्था कराया जाना छनीय हैः–

1. ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर– 08 अदद।
2. सी0ओ0टू0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर– 02 अदद।
3. फोम ट्राली क्षमता 45 लीटर– 01 अदद।
4. फायर बकेट्स एवं वाटर बकेट्स 05–05 अदद।
5. नो स्मोकिंग बोर्ड।
6. बालू का रिजर्व स्टॉक एवं बेलचा।

अतः खसरा/गाटा सं0: 2958/1, 2 (पार्ट ऑफ), ग्राम अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा पर भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना निरीक्षण आख्या निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ प्रेषित की जाती हैः–

1. प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प का संचालन पैट्रोलिम एक्ट–1934 के अनुसार एवं समय–समय पर यथा संसोधित विधियों एवं तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरुप किया जायेगा।
2. मानचित्र मे दिये गये कम संख्या 01 से 23 तक बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की हाई/लो टेंशन विद्युत लाईन नहीं गुजारी जायेगी।
4. प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
5. प्रस्तावित स्थल पर धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक तथा आपतकालीन सेवाओं के टेलीफोन नं0 की सूची लगाया/दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।
6. पैट्रोल पम्प पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी आग उत्पन्न करते हैं, का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किये जायेगें।
7. प्रस्तावित स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0–2148 तथा सम्बंधित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार करायी जानी अनिवार्य होगी।

कुमार अविनाश
प्रबंधक (रिटेल)
भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ–250002 (उ0प्र0)

कमशः ... 02

8. प्रस्तावित स्थल पर स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्थओं कों सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा अग्निश्मन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इसकी सूचना स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा त्रुटि का अविलम्ब निराकरण किया जाये।
9. प्रत्येक 06 माह में एक बार सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाये।
10. रिटेल आउटलेट पैट्रोल पम्प के निर्माण उपरान्त संचालन से पूर्व मानकों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना कराकर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11. प्रस्तावित स्थल पर स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण व्यवस्थाओं के अकार्यशील दशा में पाये का पूर्ण उत्तरदायित्व व्यवस्थापक का होगा तथा प्रेषित निरीक्षण आख्या को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

अतः खसरा/गाटा सं0: 2958/1, 2 (पार्ट ऑफ), ग्राम अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा पर भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक– अनुमोदित मानचित्र।

22/10/19
(के0 वर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद–अमरोहा

प्रतिलिपिः–

1. अग्निशमन अधिकारी अमरोहा/गजरौला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आवेदक को अनुपालनार्थ।

O/C

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)